2-6

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 114/2022 दायर दिनांक–21.06.2022

1. रामचंद्र पुत्र सुरजाराम जाति सैनी निवासी मालियों की ढाणी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. श्योराम सैनी उर्फ श्रीराम पुत्र सुरजाराम
2. मदन पुत्र सुरजाराम
3. श्योपालराम पुत्र भोलाराम
4. हनुमान पुत्र भोलाराम
5. कजोड़ पुत्र भोलाराम
6. लक्ष्मण पुत्र सूण्डाराम
7. सुनील पुत्र बंशी
8. देवराज पुत्र बंशी
9. संतोष पत्नी बंशी समस्त जाति माली निवासी मालियों की ढाणी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. किशोर सिंह पुत्र भंवरसिंह
11. विशालसिंह पुत्र भंवरसिंह
12. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह
13. लाडकंवर पत्नी भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
14. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री संदीप सैनी
वकील प्रतिवादी :– श्री विप्लव पंडित

दावा बाबत : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–10.01.2025

काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– ग्राम मालियों की ढाणी तन टोंकछिलरी में मंगला नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ जो फौत हो चुका है जिसका सजरा खानदान काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में दर्ज अनुसार है। राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 579, 580, 588, 589, 632, 633, 638, 643, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.6400, 0.1400, 0.2600, 0.2100, 0.3700, 0.2000, 0.1800, 0.1300, 0.0700, 0.0700 कुल किता 10 कुल रकबा 2.2700 है0 स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 152, 161, 159 है। वादी उपरोक्त भूमि के संबंध में काउण्टरक्लेम पेश कर रहा है जिसे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा भंवर सिंह पुत्र गणपत सिंह का था जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 है जिनका प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा है, 1/16 हिस्सा सुरजा पुत्र मंगला का था जिसके उत्तराधिकरी वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है जिनका प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा है। 1/6 हिस्सा सुण्डा पुत्र मंगला का था जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवा[illegible]संख्या का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा[illegible]हिस्सा भोला पुत्र मंगला का था जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 ल[illegible]का 1/18–1/18 हिस्सा है इसी अनुसार हक अधिकार व कब्जा है। परन्तु दौरान सेट[illegible] कर्मचारियों ने बिना क्षैत्राधिकार के भोला के 1/6 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भोला के दो पुत्रों का ही नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible] कर दिया जबकि भोला का एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 भी है परन्तु [illegible]वादी संख्या 3 का नाम भो[illegible] हिस्से में दर्ज नही किया गया जिसका कारण राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज हो गया। प्रतिवादी संख्या 3 भोला पुत्र मंगला की जायंदा संतान है था विवादित भूमि वादी की पैत्रिक सम्पति है। पैत्रिक संपति में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

संख्या 3 भोला के 1/6 हिस्से की समपतिमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्मजात हक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 3 का विवादित भूमि में 1/18 हिस्सा है तथा 1/18–1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भोला के उत्तराधिकारी दर्शाकर भोला 11/6 हिस्से में गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दी जबकि 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का भी है। गलत राजस्व रिकॉर्ड होने पर प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे काश्त पर विपरित प्रभाव नही पड़ता है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः जबाब दावा मय काउण्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 579, 580, 588, 589, 632, 633, 638, 643, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.6400, 0.1400, 0.2600, 0.2100, 0.3700, 0.2000, 0.1800, 0.1300, 0.0700, 0.0700 कुल किता 10 कुल रकबा 2.2700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 6 को 1/12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/36–1/36 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 03 लगायत 05 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से एड0 किशोर कुमार जांगिड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से एड0 दीपेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 03 लगायत 05 की ओर से काउण्टरक्लेम पेश किये जाने के बाद वादी व शेष प्रतिवादीगण की ओर से जबाब का0 क्लेम तथा जबाब दावा पेश नही किया तथा इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई फलस्वरूप वाद पत्र को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिसके कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। प्रतिवादीगण की ओर से सहादत नही पेश की गई। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण 03 लगायत 05 ने दौराने बहस मे काउण्टर क्लेम में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 03 लगायत 05 के पिता स्व0 भोला पुत्र मंगला था। जिसके फौत होने पर उसके हिस्से के खातेदार विरासतन प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 थे परन्तु भोला पुत्र मंगला के हिस्से का प्रतिवादी सं0 4 व 5 को खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया जिसे दुरूस्त कया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 05 प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 579, 580, 588, 589, 632, 633, 638, 643, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.6400, 0.1400, 0.2600, 0.2100, 0.3700, 0.2000, 0.1800, 0.1300, 0.0700, 0.0700 कुल किता 10 कुल रकबा 2.2700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 6 को 1/12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/36–1/36 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार [illegible] नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड [illegible] दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री [illegible] दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक [illegible].01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

218

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 114 / 2022 **(रामचंद्र बनाम श्योराम आदि)** .

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.01.2025 निर्णय अनुसार काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 579, 580, 588, 589, 632, 633, 638, 643, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.6400, 0.1400, 0.2600, 0.2100, 0.3700, 0.2000, 0. 1800, 0.1300, 0.0700, 0.0700 कुल किता 10 कुल रकबा 2.2700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक को 1 / 18–1 / 18 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1 / 18–1 / 18 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 6 को 1 / 12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1 / 36–1 / 36 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 प्रत्येक को 1 / 8–1 / 8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
दस्तखत मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:55 IST
Reason: SelfAttested